न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :—हेमराज गुर्जर (आरएएस)
प्रकरण संख्या:—12/2023 दायर दिनांक:— 19.01.2023

जीसीएमएस नं. 2023/26

उनवान

राजेन्द्र पुत्र जीवन जाति जाट निवासी मण्डावरा तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——सायल

बनाम

पुष्पेन्द्र पुत्र रमेश जाति जैन निवास न्यु ब्रम्हपुरी कॉलोनी तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

——गैरसायलान—02

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:— 25-7-24

संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उक्त प्रकरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत दर्ज किया गया था उक्त प्रकरण में सायलान एवं सायलान वकील आज दिनांक को उपस्थित नहीं प्रकरण में बार—बार सायलान एवं सायलान वकील को आवाज दिलवाई गयी आवाज दिलवाने के बाबजूद सायलान एवं सायलान वकील उपस्थित नहीं। प्रकरण दिनांक 10.02.2023 से आज दिनांक तक तलवाना में विचाराधीन है। जिससे जाहिर होता है कि सायलान एवं सायलान वकील प्रकरण को आगे चलाने में रूचि नहीं ले रहे है। सायलान एवं सायलान वकील द्वारा न्यायालय आदेशों की अवहेलना की जा रही है। अतः मुकदमा न0 12/2023 राजेन्द्र बनाम पुष्पेन्द्र आदेश 9 नियम 5 सीपीसी के तहत अदम हाजिरी व अदम तकमील/पालना में खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:01:56 IST
Reason: SelfAttested

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन, जिला करौली